सार-समाचार

पत्नी पर चाबी से वार कर किया घायल

इंदौर। पति द्वारा पत्नी के साथ विवाद कर मारपीट करने और चाबी से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। बाहर से खाना लाने के लिए पैसे मांगने की बात पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए पत्नी का मोबाइल तोड़ दिया और बीच-बचाव करने आए ससुर के सामने ही चाबी से हमला कर दिया। गांधी नगर पुलिस के अनुसार, फरियादिया श्रेया पति विनय उर्फ अंशुल लवलेकर निवासी सतपुड़ा परिसर, गांधी नगर ने थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति विनय ने उससे कहा कि वह बाहर से खाना लेकर आएगा और इसके लिए पैसे मांगे। जब पीड़िता ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आरोपी अचानक भड़क गया और चिल्लाचोट करते हुए गालियां देने लगा। पीड़िता द्वारा गाली देने का विरोध करने पर आरोपी ने उसका वीवो कंपनी का मोबाइल छीनकर दीवार पर पटककर तोड़ दिया और हाथ-थप्पड़ों से मारपीट शुरू कर दी। यह देखकर जब पीड़िता के पिता विवेक बीच-बचाव करने आए, तो आरोपी विनय ने अपने पास रखी चाबी निकालकर पत्नी की बाईं आंख के पास दे मारी। हमला इतना तेज था कि आंख के पास चोट लगने से खून बहने लगा। खून निकलता देख आरोपी मौके से भागने लगा और जाते-जाते धमकी दी कि आज के बाद पैसे देने से मना किया तो जान से खत्म कर दूंगा।

युवक पर चाकू से हमला सिर, गले और पीठ पर किए वार, दो पर केस दर्ज

इंदौर (नगर संवाददाता)। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने फरियादी के साथ गाली-गलौज करते हुए लोहे के चाकू से सिर, गले और पीठ पर कई वार किए। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। सदर बाजार पुलिस के अनुसार घटना भिश्ती मोहल्ला की है। फरियादी अमन पिता अकरम शेख निवासी गरीब नवाज कॉलोनी ने सदर बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि वह भिश्ती मोहल्ला स्थित घटनास्थल के पास मौजूद था। इसी दौरान क्षेत्र के ही रहने वाले आरोपी अल्फेज और फरहान दोनों निवासी भिश्ती मोहल्ला वहां पहुंचे और बेवजह अकारण गालियां देने लगे। जब पीड़ित ने गालियां देने से मना किया और विरोध जताया, तो दोनों आरोपी उग्र हो गए। आरोपियों ने जान से मारने की नियत से अपने पास रखे लोहे के चाकू से अमन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने उसके सिर, गले और पीठ पर चाकू से वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और खून बहने लगा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित होने लगे, जिन्हें देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले।

पत्नी ने फोड़ा पति का सर, दी जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

इन्दौर । एक सनसनीखेज मामले में घरेलू विवाद के दौरान पति पत्नी के बीच हुई मारपीट में पत्नी ने ईंट का टुकड़ा मार पति का सिर फोड़ दिया जिससे पति के सिर से खून निकलने लगा। मामला सिमरोल थाना क्षेत्र का है। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार सोनू गिरवाल उम्र पैंतीस साल निवासी सिमरोल ने शिकायत दर्ज कराते बताया कि पत्नी शांति बाई के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने पर पत्नी ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। सोनू ने इसका विरोध किया तो विवाद और बढ़ गया। इसी दौरान शांति बाई ने पास में पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाया और सोनू के सिर के पीछे मार दिया। ईंट लगने से सिर में चोट आई। सोनू के चिल्लाने पर लक्ष्मीबाई और दिलीप पहुंचे और दोनों के बीच हो रही मारपीट को रोकने का प्रयास किया। सोनू ने पुलिस को यह भी बताया कि विवाद के दौरान पत्नी ने उसे धमकी दी कि वह आगे से कपड़े और खाने के टिफिन को लेकर कुछ भी बोलेगा तो उसे जान से खत्म कर देगी। घटना के बाद सोनू ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सोनू गिरवाल की शिकायत पर शांति बाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

चेक बाउंस मामले में कोर्ट नाराज, एसीपी को किया तलब

इन्दौर । प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश अंशेरिया ने एक चेक बाउंस प्रकरण की सुनवाई दौरान नाराजगी जताते अगली सुनवाई पर एसीपी को कोर्ट में पेश होकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का कारण बताने का आदेश दिया है। प्रकरण में सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर नियत की गई है। एडवोकेट बसंत सितोले के अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि नरेंद्र सिंह निवासी नावदा पंथ ने 2015 में राधा कुशवाह जो कि कुशवाह महिला महासभा की पूर्व अध्यक्ष है और उसके पति नरेंद्र कुशवाह को 1 लाख 70 हजार रुपए दिए थे। उन्होंने उसके भुगतान के एवज में नरेंद्रसिंह को चेक दिए थे जो कि 2018 में बाउंस हो गए। इसके बाद नरेंद्रसिंह ने कोर्ट में चेक बाउंस को लेकर याचिका दायर की थी। जिस पर उक्त दोनों पति-पत्नी की ओर से बचाव साक्ष्य पेश किए जाने हैं। लेकिन मामला 2023 से इसी स्टेज पर है। इसके चलते 2025 में दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। तब उन्होंने कोर्ट में हाजिर हो जमानत करवा ली लेकिन उसके बाद से फिर दोनों गायब हो गए। कोर्ट ने 7 मई को दोनों को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए वारंट जारी करते तामिली की जिम्मेदारी एसीपी को दें निर्देश दिया था कि यदि दोनों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो एसीपी कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर कारण बताएंगे। सुनवाई दौरान न तो पति-पत्नी हाजिर हुए और न पुलिस की ओर से कारण बताया गया। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ एसीपी को तलब करते अगली तारीख 18 सितंबर नियत की है।

ट्रैफिक साथी एप और ट्रैफिक हेल्पलाइन बनी समस्याओं के निराकरण का माध्यम

इंदौर। यातायात पुलिस द्वारा इन्दौर ट्रैफिक साथी एप व ट्रैफिक व्हाट्सएप हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।26 अगस्त 2026 को यातायात पुलिस को आमजन से यातायात संबंधी कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें सभी 13 शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया। प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से अवैध एवं नो-पार्किंग में खड़े वाहन, यातायात जाम, सिग्नल बंद होने तथा सड़क/फुटपाथ पर यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं शामिल थीं। शिकायतों पर इस प्रकार हुई कार्रवाई-- विश्वकर्मा नगर-अन्नपूर्णा रोड पर कई दिनों से खड़े सिलेंडर से भरे ट्रक को वाहन मालिक से संपर्क कर हटवाया गया।- गौराकुंड जैन मंदिर के बाहर फुटपाथ/पार्किंग क्षेत्र में लगी दुकान की शिकायत पर नगर निगम कंट्रोल के माध्यम से कार्रवाई कराई गई।- राजवाड़ा क्षेत्र में अवैध पार्किंग के कारण बाधित यातायात को वाहन हटवाकर सुचारू कराया गया। - अपोलो टॉवर के सामने अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों पर क्रेन मशीन के माध्यम से चालानी कार्रवाई की गई।।

बाइक सवार को लात मारकर गिराया, ले भागे ढाई तोले की चेन

पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार

इंदौर (नगर संवाददाता)। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में राजीव गांधी चौराहे के पास सर्विस रोड पर एक अधेड़ को बाइक से गिराकर चाकू की नोक पर ढाई तोले की सोने की चेन लूट ली गई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर वारदात के चंद घंटो के भीतर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक श्रीयंत्र नगर निवासी किशोर पटेल (54) की शिकायत पर तीन अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ लूट का केस दर्ज किया गया थी। किशोर ने बताया कि वे राजीव गांधी चौराहे के पास सर्विस रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान तीन युवक बाइक से उनके पास पहुंचे। वे कुछ समझ पाते,इससे पहले ही बदमाशों ने उनकी मोटर साइकिल पर लात मार दी,जिससे वे सड़क प र गिर गए। इसके बाद एक बदमाश ने चाकू अड़ाया और तीनों ने मिलकर उनके गले में पहनी ढाई तोले की सोने की चेन छीन ली। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकले।पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज करते ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खगांले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इस बीच पुलिस को आरोपियों के संबंध में जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही घ ारबंदी कर वारदात को अंजाम देने वाले नीलेश पिता जगदीश पिपले निवासी गणगौर नगर, अजय पि ता बलीराम बाशिंदे निवासी अमर पैलेस कालोनी और दीपक पिता कमल बंजारा निवासी अमर पैलेस को गिरफ्तार किया। पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में आरोपी चोटिल हो गए। आरोपी नशे के आदी हैं और सूनसान इलाकों में वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन और घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल बरामद कर ली है

और अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को पकडने में टीआई संतोष दूधी और उनकी टीम की महती भूमिका रही।

महिला के गले से मंगलसूत्र झपटा

वही पलासिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गया। घटना पत्रकार चौराहे के पास की है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय प्रेमबाई ठाकुर, निवासी साकेत नगर, 26 अगस्त की सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के बीच पत्रकार चौराहे के पास से जा रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक उनके पास आया और मौका मिलते ही गले में पहना मंगलसूत्र झपट लिया। अचानक हुई वारदात से महिला कुछ समझ पाती, इससे पहले ही बदमाश बाइक तेज गति से चलाकर मौके से फरार हो गया। महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर पलासिया पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके।

चोरी के जेवरात बेचने वाले थे, पुलिस ने धरदबोचा

इधर संयोगितागंज पुलिस ने दो महीने पहले हुई बड़ी चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर करीब 30 लाख रुपए का माल बरामद किया है। आरोपी चोरी के आभूषण बेचने की तैयारी में थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। डीसीपी अभिषेक रंजन की टीम ने चंदन और राजा उर्फ राजेश झूले निवासी पालदा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने करीब दो महीने पहले संयोगितागंज इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से दोनों फरार थे। वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी डाटा के आधार पर संदिग्धों की जानकारी जुटाई गई। आरोपियों को पकडने के लिए संयोगितागंज के साथ छोटी ग्वालटोली और पलासिया थाने की टीम को भी लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी चोरी के आभूषण बेचने की फिराक में थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का सोना छिपाकर रखने की बात कबूल की। उनकी निशानदेही पर करीब 30 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की अन्य वारदातों और उनके साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। डीसीपी अभिषेक रंजन जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेंगे।

रक्षाबंधन पर्व को लेकर यातायात पुलिस अलर्ट, बाजार एवं प्रमुख चौराहों पर विशेष निगरानी

इंदौर। शहर में रक्षाबंधन पर्व के दौरान बढ़ने वाले यातायात एवं बाजारों में नागरिकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त,संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आरके सिंह एवं पुलिस उपायुक्त (क्राइम/यातायात) राजेश कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा विशेष यातायात प्रबंधन किया गया। श्री त्रिपाठी द्वारा यातायात एवं बाजार व्यवस्था का जायजा लिया गया। टावर चौराहा पर डीसीपी ने यातायात पुलिस वॉलिंटियर्स के साथ वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा का महत्व समझाते हुए सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्वक वाहन चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान नन्हे ट्रैफिक प्रहरी आदित्य ने सड़क सुरक्षा गीत प्रस्तुत कर वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। वहीं यातायात अधिकारियों द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से वाहन चालकों से अपील की गई कि वे निर्धारित यातायात नियमों का पालन करें, धैर्यपूर्वक वाहन चलाएं तथा सड़क पर अन्य वाहन चालकों एवं पैदल यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इसके पश्चात डीसीपी श्री त्रिपाठी द्वारा राजवाड़ा क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर बाजार एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मौके पर तैनात यातायात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यातायात को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। रक्षाबंधन के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों एवं चौराहों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा अपने-अपने यातायात प्रबंधन क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भी यातायात व्यवस्था की निगरानी की गई। ड्रोन टीम द्वारा जहां कहीं भी यातायात बाधित दिखाई दिया, तत्काल कंट्रोल को सूचना दी गई तथा संबंधित यातायात टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित कराया गया।

लोगों को मिले गुम-चोरी मोबाइल

रक्षाबंधन के पहले पुलिस ने आम लोगों को दिया अनूठा तोहफा

इंदौर। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने तलाशे 238 मोबाइल गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय में उनके मालिकों को लौटाए तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इसके साथ ही जोन-2 में भी 63 लोगों को गुम मोबाइल लौटाए गए हैं। रक्षा बंधन के पहले आम लोगों को ये अनूठा तोहफा मिला है।

गुम अथवा चोरी हुए मोबाइल की शिकायत सिटीजन काप एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराने के प्रति आमजन का रुझान लगातार बढ़ रहा है। तकनीकी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर क्राइम ब्रांच की साइबर सेल द्वारा सतत कार्रवाई कर मोबाइल तलाशे जा रहे हैं और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाया जा रहा है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मयंक अवस्थी व पुलिस उपायुक्त जोन.2 अमन सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जोन.2 के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस द्वारा गुम हुए मोबाइल की लगातार तलाश की गई। इसी क्रम में थाना परदेशीपुरा, एमआईजी, विजयनगर, लसूडिया, खजराना, कनाडिया एवं तिलकनगर क्षेत्र से गुम हुए 63 से अधिक मोबाइल तकनीकी माध्यमों एवं सतत पुलिस प्रयासों से बरामद किए गए। मोबाइल बरामद होने के बाद उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को विधिवत सुपुर्द किया गया। लंबे समय से अपने मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे आवेदकों के लिए रक्षाबंधन से पहले मोबाइल वापस मिलना किसी उपहार से कम नहीं रहा। मोबाइल प्राप्त करने वाले नागरिकों ने जोन.2 पुलिस की कार्यवाही की सराहना करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस द्वारा गुम एवं चोरी हुए मोबाइल की शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए तकनीकी संसाधनों, डिजिटल माध्यमों की सहायता से मोबाइल की लोकेशन एवं उपयोग संबंधी जानकारी जुटाकर उनकी तलाश की गई। पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगातार प्रयास कर मोबाइल फोन बरामद किए गए।

दहेज के लिए पत्नी को किया प्रताड़ित

इंदौर। खजराना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर पति, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया है। राजीव नगर बड़ला निवासी अलीशा बी ने पुलिस को शिकायत की कि उसके पति अनस वारसी, सास आशिक वारसी और ससुर आरेफा बी ने दहेज की बात को लेकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति समेत तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हत्या के आरोपी को जमानत नहीं, याचिका खारिज

इन्दौर । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस जय कुमार पिल्लई की एकल पीठ ने हत्या के आरोपी विजय चौहान उर्फ भूरा की जमानत याचिका निरस्त करते उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने पत्थर मारकर महिपाल की हत्या कर दी थी। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले दिनदहाड़े हुई इस हत्या के आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज करते कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी पर गंभीर और क्रूर तरीके से हमला कर हत्या करने के आरोप है। मेडिकल बोर्ड ने उसे वर्तमान में मुकदमे का सामना करने के लिए फिट माना है, इसलिए इस स्तर पर मेडिकल जांच रिपोर्ट जमानत का आधार नहीं बनता। आरोपी विजय की ओर से मानसिक बीमारी और उपचार का हवाला देकर हाईकोर्ट में यह जमानत याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घटना के समय आरोपी की मानसिक स्थिति का फैसला साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल में होगा, इसे जमानत के स्तर पर पहले से तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर दिनदहाड़े हुए क्रूर हमले और मौत के गंभीर आरोप हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती। याचिका निरस्त की जाती है।

टाउनशिप में जाने से रोकने पर बौखलाया युवक ...

चौकीदार को दो बार कार से कुचला, मौत

पत्नी और रिश्तेदार हुआ घायल, युवक सहित दो पर हत्या का केस

इंदौर (नगर संवाददाता)। टाउनशिप में कार चालक को जाने से रोकने पर युवक के साथ आए कार सवार युवक ने तेजी से कार दौड़ाते हुए कालोनी के चौकीदार,उसकी पत्नी और चौकीदार के रिश्तेदार को कुचल दिया और फरार हो गया।

दो बार कुचलने के कारण चौकीदार की मौत हो गई और उसकी पत्नी सहित दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने कार सवार और युवती के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। घटना लसूडिया थाना क्षेत्र में बुधवार की रात को हुई। एसीपी पराग सैनी ने बताया कि मृतक का नाम धर्मेंद्र मालवीय पिता रामप्रसाद मालवीय मूल निवासी देवास हाल मुकाम ला एक्जाटिका टाउनशिप लसूडिया है।

मृतक धर्मेंद्र मालवीय अपने परिवार के साथ ला एक्जाटिका में चौकीदारी का काम करता है और वहीं झोपड़ी बनाकर रहता भी है। बुधवार रात वह टाउनशिप के गेट पर खड़ा था तभी एक टोयटा कार में सवार होकर एक युवक अपनी युवती के साथ वहां पहुंचा और अंदर जाने की जिद करने लगा। इस पर धर्मेंद्र ने उसे कहा कि अंदर जाना माना है। इस पर कार सवार कार से नीचे उतरा और धर्मेंद्र मालवीय की कालर पकड़ ली। इस बीच वहां मौजूद उसकी पत्नी ज्योति ने बीच बचाव किया और जैसे तैसे धर्मेंद्र को छुडाया लेकिन युवक ने इस बीच उसे थप्पड़ जड़ दिया और बाद में गाड़ी पलटाकर लाया धर्मेंद्र पत्नी ज्योति से बात कर ही रहा था कि चंद मिनट बाद दोबारा टोयटा कार उनकी तरफ आते नजर आई वे संभल पाते इससे पहले युवक तेज रफ्तार में कार लेकर आया और धर्मेंद्र मालवीय उसकी पत्नी ज्योति और एक अन्य को कार से रौंद दिया और फिर फरार हो गया। परिवार के अन्य लोगों ने उनकी आवाज सुनी तो भाग कर झोपड़ी से बाहर आए देखा तो सभी घायल हालत में थे। सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां धर्मेंद्र मालवीय की मौत हो गई वहीं उसकी पत्नी ज्योति और एक अन्य का अस्पताल में उपचार चल रहा है उन्हें पैर में फ्रैक्चर है और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक और उसके साथ मौजूद युवती पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। कार में नंबर नहीं था। उसकी पहचान का प्रयास कर रहे हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं।

कार्यालय-रिटर्निंग अधिकारी दिलपसंद ग्रीन रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर

कार्यालय पता दिलपसंद ग्रीन आर.सी.एच.-04 स्कीम नं. 140 पिपलिया हाना इन्दौर

(पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर/10004 दिनांक 15.09.2020)

क्रमांक/निर्वाचन/2026/ **विशेष आमसभा सुचना** इन्दौर दिनांक 25.08.2026

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था की विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक 08.09.2026 को प्रातः 09.30 बजे से स्थान दिलपसंद ग्रीन आर.सी.एच.-04 स्कीम नं. 140 पिपलिया हाना इन्दौर पर आयोजित की गई है। जिसमें संस्था की उपविधि क्रं. 29 अनुसार संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन किया जावेगा।

निर्वाचन कार्यक्रम

1. नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01.09.2026 समय दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक।
2. नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि दिनांक 02.09.2026 समय दोपहर 12.00 बजे से जांच पूर्ण होने तक।
3. नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि दिनांक 03.09.2026 समय दोपहर 12.00 से 2.00 तक स्थान- दिलपसंद ग्रीन आर.सी.एच.-04 स्कीम नं0 140 पिपलिया हाना इन्दौर

आमसभा की सुचना एवं विस्तृत निर्वाचन कार्यक्रम समस्त सदस्यो को संस्था अभिलेखों में दर्ज पते पर डाक द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

(सविता भायरे) वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी
दिलपसंद ग्रीन रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर